

कुलसचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा-281001

पत्र संo 987

∕ यूपीडीडीवीयू ∕ आर—(पी०जी००ई०ई0—2025) दिनॉकः 3 \ . जुलाई, 2025

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत College of Biotechnology(Self Finance)/College of Dairy Science/College of Fisheries Science के स्नातकोत्तर कार्यकमों (Masters (Biotechnology/Dairy Science/Fisheries Science) एवं Doctorate (Biotechnology) में प्रवेश हेतु पी0जी0ई0ई0(बायोटेक/डेयरी सांइस/फिशरीज सांइस)-2025 के आधार पर दिनांक 13.08.2025 को आयोजित ऑफलाइन काउसिंलिंग हेतु आवश्यक सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी०जी०ई०ई०–2025 (बायोटेक/डेयरी सांइस / फिशरीज सांइस) के अनुक्म में Masters in Biotechnology/Dairy Science/Fisheries Science एवं Ph.D Biotechnology पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **ऑफलाइन काउन्सिलिंग** दिनांक 13.08.2025 (बुधवार) को प्रातः 09:00 बजे विश्वविद्यालय के पं0 दीन दयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थी दिनांक 13.08.2025 को काउन्सिलिंग अनुदेशों के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क के साथ काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी दिये गये काउन्सिलिंग अनुदेशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें। काउन्सिलिंग में भाग लेने हेतु सूचना केवल विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड़ की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी निर्धारित समय पर काउन्सिलिंग में उपस्थित होकर काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेगें। यात्रा में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने या काउन्सिलिंग में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेवार होगें। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को तत्समय रिक्त सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश दिया जाएगा।

अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी पाँच छायाप्रतियों सहित व निर्धारित शिक्षण शुल्क की व्यवस्था कर काउन्सिलिंग में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु अनुदेश

विश्वविद्यालय में काउंसिलिंग के समय मूल प्रमाण-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- सामान्य निवास प्रमाण पत्र।
- हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंकतालिका / ट्रांसक्रिप्ट एवं डिग्री / पी०डी०सी०।
- यदि आप अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति/पिछड़ी जाति/ई०डब्ल्यू०एस श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत नवीन जाति प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।
- पिता / संरक्षक का नवीनतम आय-प्रमाण पत्र जो वर्ष 2025 का हो।
- उस विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र / विश्वविद्यालय एवं बोर्ड द्वारा जारी प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन प्रमाण-पत्र) जहां से आपने अन्तिम शिक्षा पाई हो।
- यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी है, तो सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- अतिरिक्त चार नवीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- पी०जी०ई०ई०(बायोटेक / डेयरी सांइस / फिशरीज सांइस)—2025 परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं परिणाम प्रमाण पत्र।
- यदि आपके अध्ययन काल में कोई व्यवधान (गैप) हो तो व्यवधान के कारण का स्पष्टीकरण (शपथ पत्र) जो पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हों । (Annexure-I)
- प्रवेश प्रारूप (Application for Admission) जो नीचे दिया गया है। पाँच प्रतियों में स्पष्ट बडे अक्षरों में भर कर प्रमाणित रंगीन फोटो चिपका कर साथ लावें।
- प्रोसपेक्टस के (Annexure-G, G (a),G (b) व H) पर अंकित प्रारूपों का अलग—अलग दस रूपये के शपथ पत्र पर पब्लिक नोटरी के द्वारा सत्यापित होना चाहिये, काउन्सिलिंग के समय साथ लाये।
- उपरोक्त समी अभिलेखों की स्व प्रमाणित पाँच छाया प्रतियां अवश्य साथ लायें।
- काउंसलिग शुल्क रू० 500/- प्रति छात्र देना होगा।
- प्रोसपेक्टस के पृष्ट सं0 41 व 44 पर दर्शित निर्धारित शिक्षण शुल्क कैश/डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन NEFT/RTGS/UPI के माध्यम से नीचे दिये गये विश्वविद्यालय के खाते में जमा करना होगा। यदि आपके द्वारा निर्धारत तिथि को शिक्षण शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो आपका प्रवेश मान्य नहीं होगा।

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र वास्तविक एवं सत्य हों क्योंकि इन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी और यदि आपके प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये गये तो आपका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों एवं आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट को उपयुक्त पाये जाने पर ही आपके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

फीस से सम्बन्धित जानकारी

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी०जी०ई०ई०(बायोटेक / डेयरी सांइस / फिशरीज सांइस)—2025 की काउंसिलिंग में प्रोसपेक्टस के पृष्ठ सं० 41 से 44 पर दी गयी शिक्षण शुल्क तालिका अनुसार शिक्षण शुल्क तुरन्त जमा करना आवश्यक होगा। फीस जमा न करने के अभाव में प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

स्नातकोत्तर (डेयरी साइस) / फिशरीज साइस में प्रवेश के समय शुल्क

(Hostel will be allotted subject to availability)

	(1100101 1111010101010101010101010101010					
1	Masters in (Dairy	Non Hosteller	40,500-00			
	Science/Fisheries Science)	Hosteller	40,500-00+4850(Hostel Charges) = 45,350-00			

स्नातकोत्तर (बायोटेक) में प्रवेश के समय शुल्क

(Hostel will be allotted subject to availability)

	`	·
M.Sc/M.V.Sc/M.Tech Biotechnology	Non Hosteller	95,000/-
	Hosteller	95,000+4850(Hostel Charges) = 1,00,350/-
Ph.D Biotechnology	Non Hosteller	1,21,500/-
	Hosteller	1,21,500+4850(Hostel Charges) = 1,26,350/-

सभी सीट पर प्रवेश पी0जी0ई0ई0(बायोटेक/डेयरी सांइस/फिशरीज सांइस)—2025 (प्रवेश परीक्षा) की मेरिट, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प (choice) व श्रेणी (category) के आधार पर होगा। समस्त सीटों पर प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त करते हुए मेरिट अनुसार अगले अभ्यर्थी को सीट आंवटित कर दी जाएगी।

Fee payment procedure शुल्क जमा करने की प्रकिया:

शुल्क हेतु कोई भी चैक (cheque) स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। सीट आवंटन होने के उपरान्त ही अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यकम शुल्क जमा किया जाए।

- 1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क कैश के रुप में जमा किया जा सकता है।
- 2. अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रुप में जमा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट 'वित्त अधिकारी, वेटरिनरी विश्वविद्यालय,मथुरा' (Finance Officer, DUVASU, Mathura) के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा पर देय होना चाहिए।
- अभ्यर्थी द्वारा समस्त शुल्क RTGS/NEFT/UPI के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इस हेतु निम्निलेखित जानकारी का उपयोग किया जा सकता है।

Masters in Dairy Science पाठ्यकम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER DAIRY SCIENCE
A/C .	147501000000125
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

Masters in Fisheries Science पाठ्यकम में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER FISHERIES SCIENCE
A/C	147501000000126
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

Masters/Doctorate in Biotechnology में प्रवेश हेतु RTGS/NEFT/UPI द्वारा शुल्क जमा करने हेतु बैंक विवरण

ACCOUNT NAME	FINANCE OFFICER (BIOTECHNOLOGY)
A/C	147501000000087
BANK NAME	INDIAN OVERSEAS BANK
BRANCH NAME	VETERINARY COLLEGE MATHURA
IFS CODE	IOBA0001475
MICR CODE	281020003
BRANCH ADDRESS	VETERINARY UNIVERSITY MATHURA

नोट— उपरोक्त शिक्षण शुल्क Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से काउन्सिलिंग वाले दिन ही जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट "वित्त अधिकारी, दुवासु मथुरा" के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की मथुरा शाखा पर देय होना चाहिए।

कुलसचित्र।7

प्रमाण पत्र निम्न अनुसार क्रमवार लगाए जाए

निम्नानुसार कम सं0 1 से 18 (चार सेट)
1. Application for Admission Form (पूर्णतया बडे अक्षरों में भर कर)
2. हाईस्कूल अंक तालिका
3. हाईस्कूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
4. इण्टरमीडिएट अंक तालिका
5. इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र
6. स्नातक की ट्रांसक्रिप्ट
7. स्नातक की डिग्री / पी0डी0सी0
8. स्नातकोत्तर की ट्रांसक्रिप्ट
9. स्नातकोत्तर की डिग्री / पी०डी०सी०
10.निवास प्रमाण पत्र
11.पिछडी जाति/अनु०जाति/अनु०जनजाति/EWS प्रमाण पत्र (श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
12.आय प्रमाण पत्र
13.आधार कार्ड
14.दिव्यांग प्रमाण पत्र / स्वतंत्रता सग्राम सेनानी / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उपश्रेणी के अभ्यर्थी हेतु)
15.स्थानांतरण प्रमाणपत्र अथवा प्रवजन प्रमाण पत्र
16.चरित्र प्रमाण पत्र
17.शपथ पत्र अनुशासन (Annexure G, G(a,b),H)
18.शपथ पत्र गैप (Annexure I)

U.P.Pt Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidhalaya Evan Go-Anusandhan Sansthan (DUVASU), Mathura-281001

APPLICATION FORM FOR ADMISSION

Masters (Biotechnology/Dairy Science/Fisheries Science)/ Doctorate (Biotechnology)

SESSION 2025-26

Nai	me of the Programme	
1.	Name of the applicant (block letters)	Attested photo
	in English	
	in Hindi	
2. 1	Nationality	
3.	Name of the father and address with occupation	
4.	Mother's name	
5.	Aadhar No	
6.	Mailing postal Address	
7.	Permanent address	
	DistrictState	.Pincode
8.	Tel No. with STD Code	
9. 10.	(a) Date of birth(b)AgeYearMe	onthDays

Examination	Name of the Board/ Institution/ University	Year of passing	Division /Percentage/ OGPA/CGPA	Number of attempts
1	2	3	4	8
High School/ Secondary				
Intermediate/ Higher Secondary				
Graduation				
Post Graduation				

Note: a. In not relevant parts, please write "not applicable"

b. Application form should be complete in all respects and must be accompanied by attested copies of all the certificates and mark sheets as proof of the educational qualifications.

- 11. Have you ever represented in a district /University or State level competition? If so attach documentary proof.

 YES/NO
- 12. Do you belong to any Reserved Category? Please specify and attach a certificate from the Competent Authority to that effect.

 YES/NO
- 13. Have you ever been debarred from any Institution?

YES/NO

14. Do you have any gap of time after leaving the Institution last attended and admission in this university? How do you account for the intervening period? Pl. Enclose an affidavit.

YES/NO

5. Total income of guardian/parents.	per month/per year.
6. Details of documents attached	1
2	
3	
4	
5	
6	

IMPORTANT INSTRUCTIONS

The undernoted declarations should be signed by the student and the parent/guardian of the student, respectively otherwise the application will be rejected outright.

DECLARATION BY THE STUDENT

I hereby declare that I have read the instructions given in the Prospectus and I agree to abide by them.

I also declare that the information furnished by me is correct and no information has been withheld. I understand that withholding of any of the relevant information or giving false information renders me liable to dismissal from the University.

I hereby affirm that, if admitted. I shall strictly abide by all the rules and regulations of the University concerning studies, discipline in the college, hostel, library and any other place inside or outside the University campus. I also undertake that I shall not take part in any act of indiscipline or misbehaviour in any form or manner. I shall do my best to uphold the honour, prestige and reputation of the University. I shall devote myself whole heartedly to my studies and assure that, under no circumstances I shall fall below the standards prescribed by the University. I understand that I am liable to be dropped if any academic performance falls below the prescribed standard or if I am found guilty of misbehaviour or indiscipline.

Place	Signature of applicant in full in English
Date	

ANNEXURE-A

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट/प्रथम क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि	श्री / क0		पत्र / पत्री	निवासीः	गॉव / शहर
नगरनगर	गा <i>7 चुणा</i>	प्रदेश	जन्म	जाति में	हुआ था और यह
जाति अनुसूचित जाति/च जाति/जनजाति है।	जनजाति आदेशः	 संशोधन एक्ट	1956 के अन्तर्गत	ा भारत सरकार द्वार	ा [ँ] मान्य अनुसूचित
स्थानः			हस्ताः	क्षर:	
दिनांकः			नामः		•••••
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर				मोहरः	
			सिर्ट	जिलाधिकारी /अि ो मजिस्ट्रेट / परगना मि	तेरिक्त जिलाधिकारी जेस्ट्रेट / तहसीलदार
				A	NNEXURE-B
<u> </u>	म्यर्थियों के उत्	त्तर प्रदेश व	हे निवासी होने व	का प्रमाण-पत्र	
(ਚਾ	प्त जिले के जिला	धिकारी द्वारा	प्रमाणित जिसका अ	म्यर्थी निवासी है)	
यह प्रमाणित किया जाता है तहसील पिता / माता पर पूर्णतया आ	जिला	वे स्था	॥ / माता श्री / कु0 यी निवासी है तथा श	उत्तर प्रदेश गी / कु0	ा के गॉव/शहर अपने
अभ्यर्थी के माता/पिता के	हस्ताक्षर			हस्ताक्षर जिला मरि	नस्ट्रेट
दिनांकः				नामः	
रथानः				मोहरः	

ANNEXURE-C

उत्तर प्रदेश से स्वतन्त्रता सैनानियों (Sub Category FF)

(उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित जिसका अभ्यर्थी निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि	श्री / कृ0	शी / श्रीमती	निवासी	के
पुत्र / पुत्री / पुत्री के पुत्र / पुत्र की पुत्री (अविवाहि कारण— जो लागू न हो उसे काटने का कष्ट करें	त) है। श्री / श्रीमत	गी ने	स्वतन्त्रता संग्राम में	भाग लेने के
• कम से कम दो माह की वास्तविक अवधि के	लिए कारावास क	ज दण्ड भोगा हो या		
• नजरबंदी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में	जेल में कम से क	म तीन मास रहे हों या		
• कम से कम 10 बेंतों की सजा पाई हो, या				
• फरार घोषित हुआ हो, या				
 गोली से घायल हुआ हो, या वीरगति प्राप्त की हो, या 				
 वीरगति प्राप्त की हो, या ऐसे व्यक्ति भी जो पेशावर काण्ड के रहे हो, 	या			
 भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनि 				
 भूतपूर्व इंडिया इंडिपिंडेंस लीग के प्रमाणित नि 				
टिप्पणीः ऐसे व्यक्ति जिन्होने माफी मॉगी हो, उक्त	। परिभाषा में सम्मि	लित नहीं माने जाएंगे।		
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / पुत्र / पुत्री है अथवा उनके पौत्र / पौत्री है तथा वह			ा सैनानी श्री	के
अभ्यर्थी के माता / पिता के हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	जिला मजिस्ट्रेट	
दिनांकः		नामः		***************************************
स्थानः		मोहरः		
			ANNI	EXURE-D
<u> उत्तर प्रदेश</u>	सेना दल (Su	b Category AF)		
(सकिय सेवा अथवा मू (अन्तिम यूनिट		पुत्र/पुत्री के लिए प्रग गन्डिंग द्वारा प्रमाणित		
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0	पुत्र / पुत्री	निवासी	/गॉव/शहर	
तहसीलपरे	रेशदिन	iकको र	तेवा निवृत्त / युद्ध में	मारे
गए/अपंग हो गए। वे उस समय थलसेना/जल	सेना / वायुसेना	केक	पर कार्यरत थे	11
दिनांक:		यूनिट कमानि	डंग आफिसर के ह	स्ताक्षर
स्थान:		मोहरः		

ANNEXURE-E

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता	है कि श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र / पुत्री श्री
		इसीलनगर	
उत्तर प्रदेश	राज्य कीअनुसूचित जनजातियों तथा अन	पिछडी जाति के व्यक्ति हैं, य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण अधिनि	यह जाति उत्तर प्रदेश
		मारीउत्तर प्रदेश राज् अनुसूची–दो से आच्छादित नही है।	न्य अधिनियम सूचना
श्री / कुमारी / श्रीमतीमें सामान्य		वार उत्तर प्रदेश के ग्रामर	ाहसीलनगर
स्थानः		हस्ताक्षरः	
दिनांकः		नामः	
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर		मो	हर:
			री / अतिरिक्त जिलाधिकारी ाना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

ANNEXURE-G

AFFIDAVIT BY THE STUDENT (TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)

registration no
have received a copy of the UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (herein after called the 'Regulations') Carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. • I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
 I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
I hereby solemnly aware and undertake that
 I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations
 I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under Clause 3 of the Regulations.
 I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to Clause 9.1 of the Regulations. Without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law for the time being in force.
 I hereby declare that I have not been expelled or debarred form admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is founded to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.
Declared thisday ofmonth ofyear.
Signature of deponent
Name:
VERIFICATION
Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
Verified at(Place)on this the (day)of(month)(year).
Signature of deponent
Solemnly affirmed and signed in my presence on this he.(day)of(month) (year)after reading the contents of his affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-G (a)

स्नातकोत्तर बायोटेक सत्र 2025—26 में प्रवेश लेने वाले अध	यर्थियों	द्वारा भ	रा जाने वाल	। श्र	म्थ पत्र	
एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं	************			.पंजी	करण सं	ख्या
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	यह	शपथ	लेता / लेती	Ĕ	कि ग	मैं इस
विश्वविद्यालय के वर्तमान तथा भविष्य में लागू होने वाले नियमों/परिनिय	मों का	पूर्ण रूप	से पालन क	रूगॉ /	/ करूगी	। अपने
पूरे अध्ययनकाल में अनुशासित रहूँगा / रहूँगी। तथा मैं अपना आचरण एवं	सभी व	के प्रति व	यवहार अच्छा	रखूँग	п∕ रखूॅंग	ी। यह
भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छात्रावास के अपने कमरे में आवसित	চ্যান্ন / ঘ	अत्रा के	अतिरिक्त कि	सी अ	न्य छात्र	/ छাत्रा
को किसी भी दशा में नही रखूँगा/रखूँगी और न पंखा व बल्ब के अलाव	॥ अन्य	कियी प्र	कार का बिज	ली क	ग साम ान	न प्रयोग
करूगॉ / करूगी। मुझे समय—समय पर पुनरीक्षित / अभिवर्धित बिजली कमरे	का कि	राया तथ	ा अन्य शुल्क	मान्य	होगें।	
यदि मैं उपरोक्त अथ्वा अन्य किसी भी नियम/परिनियम को भंग अनुशासनहीनता की किसी कार्यवाही में भाग लेता/लेती हूँ तो विश्वविद्याल						रूप से
दिनांक						
	अभ्यर्थी	के हस्त	ाक्षर			
	पूरा न	ाम				
	पूरा प	ता				

ANNEXURE-G (b)

अभिमावक द्वारा शपथ पत्र

में	जो	श्री / श्रीमती / कुमारी	का
पिता / अभिभावक	हूँ ऊपर दिए गए शपथ पत्र के सभी प्र	ाविधानों का अभिभावक के	रूप में अपने पुत्र/पुत्री/वार्डस से
परिपालन कराने	की शपथ लेता/लेती हूँ और साथ ही	यह भी घोषणा करता/क	रती हूँ कि उपरोक्त अथवा किसी
नियम / परिनियम	की अवहेलना करने पर मुझे अपने पुत्र/	'पुत्री/वार्डस के प्रति विश्व	विद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी
निर्णय मान्य होगा	1		
		पिता/अभिभावक के हर	त्ताक्षर
		पूरा नाम स्पष्ट अक्षरो में.	
		पूरा पता	
		छात्र एवं छ	त्रा के पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर
		प्रमाणित	
पब्लिक नोटरी क	ा हस्ताक्षर एवं सील		
दिनांक			

ANNEXURE-H

AFFIDAVIT BY THE PARENT/GUARDIAN (TO BE SUBMITTED AT THE TIME OF COUNSELLING)

 I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constituting ragging. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aw 	/are
I have also in particular particular frames 7 and clause 0.1 of the Regulations and am fully are	
• I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aw of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to prom ragging.	
I hereby solemnly aware and undertake that	
 My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging unclause 3 of the Regulations 	ıder
 My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations. 	ı or
 I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be tal against him under any penal law for the time being in force. 	g to ken
 I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred form admission in any institut in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy promote, ragging; and further affirm that, in case of the declaration is found to be untrue, ward is aware that admission is liable to be cancelled. 	/ to
Declared thisday ofmonth ofyear.	
Signature of depone Name:	
VERIFICATION	
Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affida is false and nothing has been concealed or mis-stated therein.	avit
Verified at(Place)on this the (day)of(month)(year).	
Signature of deponer Solemnly affirmed and signed in my presence on this the.(day)	

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE-I

अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाने वाला गैप शपथ पत्र

समक्षः व्	हुलसचिव, उ०प्र० पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गौ—अनुसंघान संस्थान, मथुरा।
शपथ प	त्र द्वारा श्री / श्रीमती / कु0पुत्र / पुत्रीपुत्र / पुत्रीपुत्र / पुत्री
निवासी	जिलाप्रदेश
मैं शपथ	कर्ता / शपथकर्ती सशपथ निम्नलिखित कथन करता / करती हूँ:
2. 3.	यह कि शपथकर्ता /शपथकर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है तथा हालात शपथपत्र से बखूबी वाकिफ है। यह कि शपथकर्ता /शपथकर्ती ने हाईस्कूल की परीक्षा सन्में उत्तीर्ण की है। यह कि शपथकर्ता /शपथकर्ती ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा सन्में उत्तीर्ण की है। यह कि शपथकर्ती ने सन्में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आज तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है। सन्से
	मै शपथकर्ता / शपथकर्ती उपरोक्त सशपथ तस्दीक करता / करती हूँ कि मजमून शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें न कुछ झूठ है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

शपथकर्ता / शपथकर्ती

आर्थिक रूप से कुमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रमाण-पत्र

Government	t of	
(Name & Address o	f the authority issuing the c	certificate)
INCOME & ASSETS CERTIFICATE TO B	E PRODUCED BY ECONOMIC	CALLY WEAKER SECTIONS
Certificate No	Dat	te:
VALIDE	ΩΟ ΤΗΕΝΕΛΌ	
	or THEYEAR	son/daughter/wife
This is to certify that Shri/St	nent resident of	Village/ Street Post
Office, District	in the State/ Union '	Territory . Pin
Code whose photograph	is attested below belong	s to Economically Weaker
Sections, since the gross annual income		
Lakh only) for the financial year		
following assets***:		,
I. 5 acres of agricultural land and	above;	
II. Residential flat of 1000 sq. ft. as	nd above;	
III. Residential plot of 100 sq. yards	s and above in notified munic	cipalities;
IV. Residential plot of 200 sq. yards	and above in areas other than	n the notified municipanties.
2. Shri/Smt./Kumari	belongs to the	caste
which is not recognized as a Schedule	d Caste, Scheduled Tribe an	d Other Backward Classes
(Central List)	•	
	Signature w	rith seal of Office
	Name	
		gnation

Recent Passport Size attested photograph of the applicant

This Certificate will be acceptable only if is issued after March 31, 2025.

Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

^{**} Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

^{***} Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.